<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>
<u>स्वत्व वाद संख्या–108/2016</u>

बहरूल होदा एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

म0 दाउद एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<u>21.06.2022</u> उभय पक्ष की पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से शपथ पत्र से समर्थित दाखिल आवेदन दिनांक 06.10.2021 अंतर्गत आदेश 22 नियम 03 व आदेश 22 नियम 9 व भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता व इस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक 08.12.2021 पर आदेश हेतु नियत है।

वादीगण का अपने आवेदन आदेश 22 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के संबंध में कहना है कि प्रस्तुत वाद के वादी संख्या–1 बहरूल होदा की मृत्यु दिनांक 10.05.2021 को हो गई है। उनकी मृत्यु के समय लॉकडाउन था जिसके कारण प्रस्तुत आवेदन समय से दाखिल नहीं हुआ। यह कि बहरूल होदा अपने पीछे 2 पुत्र फिरोज अहमद, असलम प्रवेज एवं एक पुत्री अंजुमआरा बेगम को छोड़ गए हैं। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादी संख्या–1 का नाम वादपत्र से कलमजद कर उसके स्थान पर आवेदन में वर्णित उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करें।

इस संबंध में प्रतिवादीगण का कहना है कि वादीगण का तीनों आवेदन कानून व तथ्य की दृष्टिकोण से चलने योग्य नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है। यह कि बहरूल होदा की पत्नी जीवित है तथा उनको इस वाद में पक्षकार बनाया आवश्यक है। लिहाजा यह आवेदन खारिज होने योग्य है। यह कि प्रस्तुत आवेदन दिनांक 06.09.2021 को दिया गया है यानी न्यायालय चलने के 2 माह बाद दिया गया है। ऐसा लगता है कि वादीगण जानबूझकर मुदालह को परेशान करने की नियत से समय सीमा के अधीन नहीं दिया गया है तथा वादी संख्या–1 के विरूद्ध यह वाद स्वतः उपसमंमित हो चुका है। अतः वादीगण द्वारा दाखिल तीनों आवेदन खारिज होने योग्य है।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के वादी संख्या–1 की मृत्यु हो गई है, जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते हैं। प्रस्तुत आवेदन इनके द्वारा विलंब से दाखिल किया गया है तथा विलंब को माफ करने हेतु भी आवेदन दाखिल किया गया है। अतः न्याय हित में विलंब को माफ करते हुए वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन मो0–200/– रूपये खर्चे पर स्वीकृत किया जाता है तथा वादीगणों को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत वादी संख्या–1 का नाम कलमजद कर उसके स्थान पर मृतक के विधिक वारिसानों फिरोज अहमद, असलम परवेज एवं अंजुम आरा का नाम प्रतिस्थापित करें। साथ ही मृत वादी संख्या–1 के विरूद्ध यदि कोई उपसमन हुआ है तो उसे अपास्त किया जाता है। वास्ते अग्रिम कार्रवाई हेतु अभिलेख दिनांक 26.07.2022 को प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश (प्रथम)